



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235498
CG-DL-E-02052022-235498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1933]
No. 1933]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 2033(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 258 (अ) तारीख 18 जनवरी 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के यवतमाळ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 361 के कि.मी. 400.575 से कि.मी. 465.500 (यवतमाल-वर्धा सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17 फरवरी 2022" को "विदर्भ मतदार" और "नवभारत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के यवतमाळ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 361 के कि.मी. 400.575 से कि.मी. 465.5 (यवतमाल-वर्धा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: यवतमाळ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कलंब				
	गांव का नाम: छापरडा				
1	111	निजी	कृषी	0.02	अमीत वसंतराव नागभिडकर (111)
2	16	निजी	कृषी	0.03	स्वप्नील गिरीधरराव नागपुरे (16/2)
3	16	निजी	कृषी	0.03	पुष्पाताई गिरीधरराव नागपुरे (16/3)
4	52	निजी	कृषी	0.06	रिजवाना अली अशपाक बाँम्बेवाला, अल्फीया अली अकबर बाँम्बेवाला (52)
	गांव का नाम: कलंब				
5	254	निजी	कृषी	0.04	दत्तात्रय चंपतराव काळे (254)
6	645	निजी	गैरकृषी	0.0078	उध्दवराव वामनराव वेरूळकर (645/1/6)
			कुल	0.1878	

[फा. सं. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 2033(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 258 (E), dated 18th January 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 on the stretch of land from Km. 400.575 to Km. 465.500 (Yavatmal-Wardha Section) in the district of YAVATMAL in the state of MAHARASHTRA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vidarbha Matdar” and “Navbharat” both dated 17th February 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 400.575 to Km. 465.500 (Yavatmal-Wardha Section) of National Highway No. 361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: YAVATMAL					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kalamb				
	Village: Chaparda				
1	111	Private	Agricultural	0.02	Amit Wasantrao Nagbhidkar 111
2	16	Private	Agricultural	0.03	Swapnil Giridharrao Nagpure 16/2
3	16	Private	Agricultural	0.03	Pushpatai Giridharrao Nagpure 16/3
4	52	Private	Agricultural	0.06	Rijwana Ali Ashpak Bombaywala, Alfiya Ali Akbar Bombaywala 52
	Village: kalamb				
5	254	Private	Agricultural	0.04	Dattatray Champatrao Kale 254
6	645	Private	Non Agricultural	0.0078	Uddhavrao Wamanrao Werulkar 645/1/6
			TOTAL	0.1878	

[F. No. NHAI/PIU/YAVATMAL/LA/NH-361/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Director